"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त 2013—श्रावण 15, शक 1935

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-48/2013/जन.नि./42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ रोजगार (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची-एक
(रोजगार शाखा)
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800 ग्रेड पे- 4300	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण

2.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (विभागीय डाइंग कैडर)	02	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	9300–34800 ग्रेड पे– 4300	–तदैव–
3.	सहायक प्रोग्रामर	01	–तदैव–	9300–34800 ग्रेड पे– 4300	–तदैव–
4.	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	18	–तदैव–	9300–34800 ग्रेड पे– 4200	–तदैव–
5.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	–तदैव–	9300–34800 ग्रेड पे– 4200	–तदैव–
6.	सहायक ग्रेड–एक	09	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200 ग्रेड पे– 2800	–तदैव–
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	01	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड पे– 2800	–तदैव–
8.	सहायक ग्रेड–दो	35	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड पे– 2400	–तदैव–
9.	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5200–20200 ग्रेड पे– 2400	–तदैव–
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	32	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड पे– 2400	उप संचालक/जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय का प्रमुख
11.	स्टेनो टायपिस्ट	08	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड पे–1900 । विशेष वेतन	–तदैव–
12.	सहायक ग्रेड–तीन	82	–तदैव–	5200–20200 ग्रेड पे– 1900	–तदैव–
13.	वाहन चालक	02	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	5200–20200 ग्रेड पे– 1900	–तदैव–

2. अनुसूची–दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची–दो
(रोजगार शाखा)
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			नियुक्ति प्राधिकारी
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (क) देखिये]	सेवा के स्थानापन्न/मूल/अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (ख) देखिये]	अन्य सेवा से व्यक्तियो के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	जनशक्ति नियोजन विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा. (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी)		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
1.		अधीक्षक	01	–	100%		संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
2.		सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (विभागीय डाइंग कैडर)	02	–	–		–तदैव–
3.		कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	18	50%	50%		–तदैव–
4.		सहायक प्रोग्रामर	01	100%	–		–तदैव–
5.		कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	–	100%		–तदैव–
6.		सहायक ग्रेड–एक	09	–	100%		–तदैव–
7.		सहायक ग्रेड–दो	35	–	100%		–तदैव–
8.		लेखापाल	01	–	100%		–तदैव–
9.		शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	01	–	100%		–तदैव–

10.		स्टेनो टायपिस्ट	08	100%	–		उप संचालक/ जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय का प्रमुख
11.		सहायक ग्रेड–तीन	82	75%	25%		
12.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	32	100%	–		
13.		वाहन चालक	02	100%	–		

3. अनुसूची–तीन में सरल क्रमांक 7 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

4. अनुसूची–तीन में सरल क्रमांक 10 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से:–

(क) **शीघ्रलेखक (हिंदी) के लिए–** हिंदी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए–** अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए –** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

5. अनुसूची–तीन में, सरल क्रमांक 11 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

6. अनुसूची–तीन में, सरल क्रमांक 12 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

7. अनुसूची–चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"अनुसूची–चार

(नियम 14 देखिये)

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम अनुभव की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जनशक्ति नियोजन विभाग छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी।	अधीक्षक	3 वर्ष	अध्यक्ष– संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ सदस्य– संयुक्त संचालक, रोजगार, छत्तीसगढ सदस्य–उप संचालक, रोजगार, छत्तीसगढ़।"
2.		सहायक ग्रेड–एक /शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी	3 वर्ष	–तदैव–
3.		स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	3 वर्ष	–तदैव–
4.		सहायक ग्रेड–दो /लेखापाल	सहायक ग्रेड–एक	3 वर्ष	–तदैव–
5.		सहायक ग्रेड–तीन /डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक ग्रेड–दो /लेखापाल	3 वर्ष	–तदैव–
6.		नियमित चतुर्थ श्रेणी जो विहित योग्यता रखते हों का 25%	सहायक ग्रेड–तीन	3 वर्ष	–तदैव–"

New Raipur, the 6th August 2013

NOTIFICATION

No. F 1-48/2013/MPP/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Employment (Class-III Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2005, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

1. For Schedule-I, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE - I
(EMPLOYMENT WING)
(See Rule 6)

S.No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	01	Class- III Ministerial	9300-34800 Grade Pay -4300	Director, Employment And Training
2.	Assistant Statistical Officer (Departmental Dying Cadre)	02	Class-III Executive	9300-34800 Grade Pay -4300	.....do....
3.	Assistant Programmer	01	-do-	9300-34800 Grade Pay -4300	.....do....
4.	Junior Employment Officer	18	-do-	9300-34800 Grade Pay -4200	.....do....
5.	Junior Accounts Officer	01	-do-	9300-34800 Grade Pay -4200	.....do....
6.	Assistant Grade-I	09	Class-III Ministerial	5200-20200 Grade Pay-2800	.....do....
7.	Stenographer Class-III	01	-do-	5200-20200 Grade Pay-2800	.....do....
8.	Assistant Grade-II	35	-do-	5200-20200 Grade Pay-2400	.....do....
9.	Accountant	01	-do-	5200-20200 Grade Pay-2400	.....do....
10.	Data Entry Operator	32	-do-	5200-20200 Grade Pay-2400	Head of the Office of Deputy Director/ District Employment Officer

11.	Steno Typist	08	-do-	5200-20200 Grade Pay-1900 +Special Pay	Head of the Office of Deputy Director/ District Employment Officer
12.	Assistant Grade-III	82	-do-	5200-20200 Grade Pay-1900	...do..
13	Driver	02	Class III Non-Ministerial	5200-20200 Grade Pay-1900	.....do...."

2. For Schedule - II, the following shall be substituted, namely-

"SCHEDULE – II
(EMPLOYMENT WING)
(See Rule 7)

S.No.	Name of the Department	Name of Service/post	Total Number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Appointing Authority
				By direct recruitment [Vide rules 6(a)]	By promotion of substantive/ officiating/ temporary members of service [Vide rules 6(b)]	By Transfer of the person from other Service [Vide rules 6(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Man Power Planning Department Chhattisgarh	Chhattisgarh Employment Service (Class-III Non Gazetted)		Percentage	Percentage	Percentage	
1.		Superintendent	01	-	100%	-	Director, Employment And Training
2.		Assistant Statistical Officer (Departmental Dying Cadre)	02	-	-		...do....
3.		Junior Employment Officer	18	50%	50%		...do....
4.		Assistant Programmer	01	100%	-		...do....
5.		Junior Account Officer	01	-	100%		...do....

6.		Assistant Grade-1	09	-	100%		...do....
7.		Assistant Grade-II	35	-	100%		...do....
8.		Accountant	01	-	100%		...do....
9.		Stenographer Class-III	01	-	100%		...do....
10.		Steno Typist	08	100%	-	/	Head of the Office of Deputy Director/ District Employment Officer"
11.		Assistant Grade-III	82	75%	25%		
12.		Data Entry Operator	32	100%	-		
13.		Driver	02	100%	-		

3. In column (2) of serial number 10 of Schedule-III, for the words "Steno typist Class-3" the words "Stenographer Grade-3" shall be substituted.

4. In Schedule - III, for the entries relating to column (5) of serial number 7, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

5. In Schedule - III, for the entries relating to column (5) of serial number 10, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :-

(a) **For Stenographer (Hindi)**- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer**- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

6. In Schedule - III, for the entries relating to column (5) of serial number 11, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

7. In Schedule - III, for the entries relating to column (5) of serial number 12, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University,

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.

(2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

8. For Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-IV
(See Rule -14)

S.No.	Name of the Department	Name of the Service or posts from which promotion is to be made	Name of the service or posts to which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility for promotion	Name of members of the Departmental Promotion/Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Manpower Planning Department Chhattisgarh Employment Service	1. Junior Employment Officer/Junior Accounts Officer.	Superintendent	3 year	Chairman-Director, Employment and Training, Chhattisgarh Member-Joint Director, Employment, Chhattisgarh Member-Deputy Director, Employment, Chhattisgarh."
2.		Assistant Grade-I/ Stenographer Class-III	Junior Employment Officer/Junior Accounts Officer	3 year	...do....
3.		Steno Typist	Stenographer Class-III	3 year	...do....
4.		Assistant Grade-II/ Accountant	Assistant Grade-I	3 year	...do....
5.		Assistant Grade-III / Data Entry Operator	Assistant Grade-II /Accountant	3 year	...do....

6.		25% of Regular Class-IV having prescribed qualification.	Assistant Grade-III	3 year	...do...."

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्रमाक एफ 1–14/2013/जन0नि0/42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची—तीन के शीर्षक "लिपिकीय संवर्ग" के अन्तर्गत सरल क्रमांक 38 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

(3) कसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।"

2. अनुसूची—तीन के शीर्षक "लिपिकीय संवर्ग" के अन्तर्गत सरल क्रमांक 39 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।"

3. अनुसूची–तीन के शीर्षक "लिपिकीय संवर्ग" के अन्तर्गत सरल क्रमांक 40 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।"

New Raipur, the 6th August 2013

NOTIFICATION

No. F 1-48/2013/MPP/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Industrial Training (Non-Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2005, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. For the entries relating to column (5) of serial number 38 under heading "Ministerial Cadre" of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For the entries relating to column (5) of serial number 39 under heading "Ministerial Cadre" of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For the entries relating to column (5) of serial number 40 under heading "Ministerial Cadre" of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University,

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.

(2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator /Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.